छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

अपेक्स बैंक (Apex Bank)

मुख्यालय "सहकार भवन", प्लॉट नं.–74, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर(छ.ग.) 492002

Website : www.cgapexbank.com Email : cg.apexbank.ho@gmail.com

छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र. 6147 दिनांक 24/02/2025

छ.ग.राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के संबंध में सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना क्रमांक छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र. 5307 दिनांक 15.01.2025 एवं बैंक के वेबसाइट में प्रकाशित सूचना क्रमांक छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र. 5308 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर में सामान्य सहायक एवं समिति प्रबंधक(नवीन संवर्ग) पद पर सीधी भर्ती के शेष 48 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 31.01.2025 को किया गया।

उक्त तिथि को अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु **अंतिम अवसर** प्रदान करते हुए उन्हें स्वयं के व्यय पर **छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय, सहकार भवन, प्लॉट नं.–74, सेक्टर–24, नवा रायपुर** में दिनांक **28.02.2025** को समय प्रातः **11.00** बजे आमंत्रित किया गया है।

उक्त दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज किये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है। जिन अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे इस सूचना के अनुसार दस्तावेजों के परीक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें। यदि दस्तावेजों के परीक्षण हेतु उपरोक्त उल्लेखित तिथि पर अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें चयन हेतु अपात्र माना जायेगा।

दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उक्त तिथि में ही अपात्र अभ्यर्थी अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा–आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के निराकरण के उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन बैंक की वेबसाईट में किया जायेगा, जिसमें से रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित संख्या में ही पात्र अभ्यर्थियों को बैंक/पद के चयन हेतु संयुक्त काउंसिलिंग में आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूचना पृथक् से जारी की जाएगी। कृपया इस संबंध में बैंक की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

संलग्नः दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देश।

प्रबंध संचालक

दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्देश

उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के निम्नानुसार दस्तावेजों की मूलप्रति तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति (02 सेट पृथक–पृथक्) मान्य होगी :–

(1.) बैंक द्वारा प्रेषित सूचना पत्र ।

(2.) ऑन लाईन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति ।

(3.) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसेः– जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो ।

(4.) आधार कार्ड एवं निवास के पते के सत्यापन के संबंध में प्रमाण–पत्र।

(5.) नवीनतम रंगीन 04 फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित ।

(6.) बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र / अंकसूची की मूल प्रति।

(7.) आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

(8.) अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संवंधी प्रमाण पत्र।

(9.) उम्मीदवार यदि किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा / निगम / मण्डल / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

(10.) अन्य ऐसे प्रमाण पत्र / दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो ।

दस्तावेजों के सत्यापन में अभ्यर्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य गैजेट्स रखने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पदवार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य शर्तें पूरी नहीं करने की स्थिति पर अभ्यर्थी को चयन हेतु अयोग्य माना जावेगा, तद्नुसार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रबंध संचालक